FORM NO. III — APP-A

फर्द अहकाम — crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

राजाराम बनाम भू-स्वामी

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं. 26/प्रा0 पत्र सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/1/2023	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act द्वारा वकील श्री दिनेश कुमार पाण्डेय एडवो पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक 24/3/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/3/23	पत्रावली पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 17/5/23 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
17.5.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 17-7-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
12.6.23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 के तहत चिन्हित की गई है। अतः पत्रावली केम्प दिनांक 20-6-23 को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
20-6-23	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के तहत केम्प रजलावता मे पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित है। तहसीलदार नैनवां ने रिपोर्ट प्रस्तुत [illegible] तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार [illegible] वादी को राजाराम व [illegible] नाम से पुकारा जाता है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रमाण पत्र द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रजलावता (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.05 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अनुसार भी रामलाल व राजाराम एक ही व्यक्ति है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैनवां की सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 285 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1047, 139, 143, 37, 40, 46, 6, 816, 829, 912 में दर्ज खातेदार "रामलाल पुत्र मोतीलाल" के स्थान पर "रामलाल उर्फ राजाराम पुत्र मोतीलाल" संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नैनवां आदेशानुसार संशोधन समस्त भू-राजस्व अभिलेखों में दर्ज करे। निर्णय कैम्प कोर्ट में पढकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.05 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested